बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 2437-PBR-15

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

1– श्रीमती अन्नपूर्णाबाई पति श्री महेश
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम तिल्लौरखुर्द तहसील व जिला इन्दौर

2– श्री दिनेश पिता श्री कन्हैयालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम तिल्लौरखुर्द तहसील व जिला इन्दौर

3– शाबिर पिता शब्बीर
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – गुलजार कॉलोनी, तहसील व जिला इन्दौर —— प्रार्थीगण

श्री हर्ष सोलंकी अभिभाषक द्वारा केन्द्र इन्दौर (म.प्र.) प्रस्तुत 22/7/15

विरूद्ध

1– श्री मनीष पिता सुरेशचन्द्र
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

2– श्रीमती विजयाबाई पति श्रीराम वर्मा
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

3– श्री सीताराम पिता यशवन्त
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

4– श्री गौरीशंकर पिता छोगालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

5– श्री शिवशंकर पिता छोगालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर

6– श्री शंकरलाल पिता मोहनलाल यादव
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर —— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र.क्र. 1244–1245 / भूअधीक्षक में पारित आदेश दिनांक 18.04.2011 एवं उसके आलोक में प्रारंभ की गई प्रक्रिया से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करते है :–

– 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2437–पीबीआर/15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–10–2016	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अधीक्षक भू–अभिलेख इंदौर द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–04–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । 2/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने इस आधार पर कि मौके पर जमीन कम एवं नक्शे पर जमीन अधिक है । तहसील न्यायालय द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख, इंदौर को सीमांकन के लिये भेजा गया, लेकिन अधीक्षक भू–अभिलेख, इंदौर ने स्वयं सीमांकन न करते हुये सीमांकन दल की रिपोर्ट को केवल Counter sign किया है । सीमांकन रिपोर्ट में उक्त बिन्दु का समाधान भी नहीं है । आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया है । अतः अधीक्षक भू–अभिलेख इंदौर द्वारा पारित सीमांकन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । 3/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीक्षक भू–अभिलेख इंदौर द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–04–2011 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । अध्यक्ष	